INDIAN COUNCIL OF AGRICULTURAL RESEARCH
KRISHI BHAWAN: NEW DELHI-110 001

F.No.21-61/2021-CDN

Date: - 9 .11.2021

ENDORSEMENT

Sub:- Indian Sign Language Interpreter in the official Meetings/ Seminar – Regarding

Ministry of Social, Justice and Empowerment, has issued a D.O. letter No. A-42018/47/2021-NI dated 110115, Shastri Bhawan, New Delhi regarding above subject. The above mentioned D.O. dated 08.10.2021 is being uploaded on the ICAR website www.icar.org.in and e-office for information and necessary action.

(Jitender Kumar Meena)
Under Secretary (GAC), ICAR

Distribution:-

1. All the Directors/ Project Directors/ NRCs/ PDs/ ZPDs/ Bureaux/ ATARIs for information and compliance.
2. All officers/ Sections at ICAR Krishi Bhawan/ KAB-I & II/ NASC.
3. Sr. PPS to DG, ICAR/ PPS to FA, ICAR/ PPS to Secretary, ICAR
4. Media Unit for placing on the ICAR Website.
5. Guard file/ spare copies.

885388/2021/Coordination Section

डा. वीरेन्द्र कुमार
DR. VIRENDRA KUMAR
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री
भारत सरकार
MINISTER OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT GOVERNMENT OF INDIA

सत्यमेव जयते

D.O. No. A-42018/47/2021-NI
कार्यालयः 202, सी विंग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली–110115
Office : 202, 'C' Wing, Shastri Bhawan, New Delhi-110115
Tel. : 011-23381001, 23381390, Fax : 011-23381902
E-mail : min-sje@nic.in
दूरभाष: 011-23381001, 23381390, फैक्सः 011-23381902
ई-मेल: min-sje@nic.in

DG (Jeal) Secy (A&FW)

O/o the MINISTER OF AGRI. FW
E-office Dy. No. 686368
Date 18/10/2021

~~सितंबर~~, 2021 8 अक्तूबर

O/o the MINISTER OF AGRI. FW
E-office Dy. No. 877673
Date 20/10/2021

Dy. No - 20/2021/010 - AO-I (HRM)

माननीय श्री नरेन्द्र सिहं तोमर जी,

सरकार ने दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम (RPwD), 2016 को अधिनियमित किया है जो 19.04.2017 से लागू हुआ है। अधिनियम की धारा 42, के अनुसार सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाना है कि ऑडियो, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में उपलब्ध सभी सामग्री सुलभ प्रारूप में हो और ऑडियो विवरण, सांकेतिक भाषा की व्याख्या और क्लोज कैप्शनिंग के साथ दिव्यांगों का इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तक पहुंच हो।

2. श्रवण बाधितों के लिए सुगम्यता को बढ़ावा देने के लिए, सरकार ने सितंबर, 2015 में इस मंत्रालय के अंतर्गत दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में एक स्वायत्त निकाय के रूप में भारतीय सांकेतिक भाषा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र (ISLRTC), नई दिल्ली की स्थापना की। केंद्र का मुख्य उद्देश्य भारतीय सांकेतिक भाषा में प्रयोग, शिक्षण और अनुसंधान के लिए जनशक्ति का विकास करना है।

3. संयुक्त राष्ट्र ने 23 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस के रूप में घोषित किया है। आईएसएलआरटीसी, नई दिल्ली हर वर्ष सांकेतिक भाषा दिवस मनाता है, जिसका मुख्य उद्देश्य आम जनता को भारतीय सांकेतिक भाषा के महत्व और श्रवण बाधितों के लिए सूचना और संचार पहुंच के बारे में जागरूक करना है। सांकेतिक भाषा न केवल शिक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है; बल्कि यह श्रवण बाधितों के लिए रोजगार और व्यावसायिक प्रशिक्षण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

4. श्रवण बाधितों के लाभ के लिए मेरे मंत्रालय द्वारा आयोजित किए जा रहे अधिकांश कार्यक्रमों की भारतीय सांकेतिक भाषा (आईएसएल) में व्याख्या की

VIP Reference
SO(HRM) 22/10
AS (L)
ADG (HRM)
PS/(HRM) 22/10

क्रमशः........2/-

सत्यमेव जयते

-2-

जाती है। 23 सितंबर, 2021 को आयोजित सांकेतिक भाषा दिवस के कार्यक्रम की भी आईएसएल में व्याख्या की गई और मुझे आईएसएल व्याख्या के माध्यम से कुछ श्रवण बाधित पुरस्कृत छात्रों के साथ बातचीत करने का अवसर मिला।

5. मेरा मानना है कि यह श्रवण बाधितों के लिए काफी उपयोगी होगा यदि मंत्रालयों / विभागों द्वारा आयोजित सभी सरकारी बैठकों / संगोष्ठियों / कार्यशालाओं में आईएसएल व्याख्या उपलब्ध कराई जाए। यह सुनिश्चित करेगा कि श्रवण बाधितों को सरकार की सभी योजनाओं और कार्यक्रमों का लाभ प्राप्त हो सके। आईएसएलआरटीसी, नई दिल्ली सरकारी बैठकों / संगोष्ठियों / कार्यशालाओं में आईएसएल दुभाषियों को उपलब्ध कराने के लिए आवश्यक तकनीकी सहायता प्रदान करता है।

6. मैं आपका आभारी रहूंगा, यदि आप कृपया अपने मंत्रालय / विभाग के साथ-साथ अपने प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत सभी स्वायत्त निकायों / सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और अधीनस्थ कार्यालयों की सभी सरकारी बैठकों / सेमिनार / कार्यशालाओं में आईएसएल दुभाषियों की व्यवस्था करने के लिए उचित निर्देश जारी करें, ताकि हमारी सरकार के समावेशी दृष्टिकोण को आगे बढ़ाया जा सके।

सादर,

भवदीय

(डॉ. वीरेंद्र कुमार)

श्री नरेन्द्र सिंह तोमर जी,
माननीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री,
भारत सरकार,
कृषि भवन, नई दिल्ली।